

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ****विशेष अपील संख्या 12 / 2025**

दीपक कुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : श्री संतोष कुमार यादव वारसी, श्री दीपक सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : श्री आनंद कुमार सिंह (स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय**माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली****माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह**

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 8927/2024 में पारित आदेश

दिनांक 21.11.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

30.04.2024 के आरोप-पत्र की वैधता को प्रश्नगत करने हेतु योजित रिट याचिका निरस्त कर दी गई है।

2. अपीलकर्ता, जिसकी नियुक्ति वर्ष 2019 में आरक्षी, प्रादेशिक सशस्त्र बल के पद पर हुई थी, बाराबंकी में अपनी तैनाती के दौरान उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
3. विपक्षी ने प्रथमतः, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र बल नियमावली, 1948 के नियम 20 के प्रावधान का अवलंब लेते हुए अपीलकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दीं।
4. इससे व्यथित होकर, रिट-ए संख्या 29974/2021 योजित की गई, जिसे आदेश दिनांक 15.07.2022 द्वारा इस अभिनिर्धारण के साथ स्वीकार किया गया कि जिस प्रकृति के आदेश द्वारा सेवाएं समाप्त की गई थीं, उसे बिना जांच आयोजित किए पारित नहीं किया जा सकता था। स्पष्टतः, न्यायालय के उक्त आदेश के आधार पर, अपीलकर्ता को दिनांक 30.04.2024 का आरोप-पत्र निर्गत किया गया, जिसे वर्तमान रिट याचिका योजित कर प्रश्नगत किया गया।
5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि पूर्ववर्ती आदेश इस अवलोकन के साथ अपास्त किया गया था कि अपीलकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों (दंड और अपील) नियमावली, 1991 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नियम 14 के प्रावधानों के निबंधन में कार्यवाही की जानी आवश्यक है, अतः आरोप-पत्र निर्गत किए जाने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता और परिणामस्वरूप रिट याचिका निरस्त कर दी।

6. इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील योजित की गई है।
7. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 04.04.2025 द्वारा यह अवलोकन करते हुए कि यद्यपि आपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही समानांतर रूप से चल सकती हैं, परंतु वर्तमान प्रकरण में विभाग द्वारा विरचित आरोप आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट के समरूप थे, यह निदेश दिया कि विभागीय कार्यवाही जारी रह सकती है, तथापि, न्यायालय की अनुमति के बिना अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
8. अब, एक पूरक शपथ पत्र दाखिल कर विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) रायबरेली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2025 को अभिलेख पर लाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।
9. उक्त दोषमुक्ति के आधार पर, यह अभिवेदन किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए तथा आरोप-पत्र को अभिखंडित किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. विपक्षी के अधिवक्ता ने यह अभिवेदन किया कि दोषमुक्ति के कारण अब उठाई जा रही तर्क के आधार पर, अपीलकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है और उक्त दोषमुक्ति के आधार पर, जांच अधिकारी अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा तथा तदनुसार परिणामी कार्यवाही होगी।
11. हमने प्रस्तुत अभिवेदनों पर विचार किया है तथा पत्रावली का परिशीलन किया है।
12. विपक्षी द्वारा आरोप-पत्र अपीलकर्ता के विरुद्ध आपराधिक वाद पंजीकृत होने के कारण निर्गत किया गया था तथा आरोप-पत्र तात्त्विक रूप से पुलिस रिपोर्ट एवं उन्हीं साक्षियों पर आधारित था। तथापि, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दांडिक विचारण के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी।
13. एक बार जब अपीलकर्ता दांडिक विचारण में दोषमुक्त हो गया है, तो आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अब जांच अधिकारी के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, जो अपीलकर्ता के विरुद्ध विरचित आरोप(ओं) के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोषमुक्ति के आधार पर विचार करेगा।
14. जहां तक आरोप-पत्र निर्गत करने और उसे अभिखंडित करने की मांग का प्रश्न है, केवल दोषमुक्ति के आधार पर, आरोप-पत्र को उसी रूप में अभिखंडित नहीं किया जा सकता।
15. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा योजित अपील निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

16. अपीलकर्ता आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को उक्त दोषमुक्ति पर आधारित अपने अभिवेदनों के साथ जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और जांच अधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी आख्या प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलकर्ता की उक्त दोषमुक्ति को विचार में ले। अपीलकर्ता द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के अनुसरण में की जाने वाली कार्यवाही अत्यधिक शीघ्रता से की जाए।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

17 मार्च, 2026

राकेश/